

**भाग - II**  
( संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है )

7	परियोजना / स्कीम का स्थान		107.816 है.																		
i	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	i	मध्यप्रदेश																		
ii	जिला	ii	बैतूल																		
iii	वन प्रभाग	iii	वन मण्डल का नाम उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल / परिक्षेत्र का नाम सारनी / वन खण्ड का नाम 15 बाकुड़ / आवेदित वन क्षेत्र 107.816 हेक्टर है। (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :-																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम</th> <th>कक्ष क्रमांक</th> <th>आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">सारनी (सा.)</td> <td rowspan="4">15 बाकुड़</td> <td>आर.एफ. 340</td> <td>24.964</td> </tr> <tr> <td>आर.एफ. 341</td> <td>57.417</td> </tr> <tr> <td>आर.एफ. 342</td> <td>19.265</td> </tr> <tr> <td>आर.एफ. 343</td> <td>6.170</td> </tr> <tr> <td colspan="3">योग:-</td> <td>107.816</td> </tr> </tbody> </table>				परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)	सारनी (सा.)	15 बाकुड़	आर.एफ. 340	24.964	आर.एफ. 341	57.417	आर.एफ. 342	19.265	आर.एफ. 343	6.170	योग:-			107.816
परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)																		
सारनी (सा.)	15 बाकुड़	आर.एफ. 340	24.964																		
		आर.एफ. 341	57.417																		
		आर.एफ. 342	19.265																		
		आर.एफ. 343	6.170																		
योग:-			107.816																		
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	iv	107.816 है.																		
v	वन की कानूनी स्थिति	v	आरक्षित वन क्षेत्र है।																		
vi	वनों का घनत्व	vi	आवेदित वनक्षेत्र में iv b श्रेणी का मिश्रित वन है जिसका घनत्व 0.5 से 0.7 तक है।																		
vii	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई / विद्युत परियोजना के संबंध में एक आर.एल.एफ आर एल-2 मीटर और एक एल-4 मीटर पर भी वृक्षों की गणना संलग्न किया जाए।	vii	संलग्न है।																		



10	प्रतिपुरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।		
i	प्रतिपुरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित (विगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू खंडों की संख्या, प्रत्येक भू खंड का आकार।	i	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जून 2004 की स्थिति में जारी अपडेटेड गार्डलार्डन के अध्याय-3 "वैकल्पिक वृक्षारोपण" की कंडिका क्रमांक- 3.2 (vii) (c) के निर्देशानुसार 03 मीटर से नीचे भूमिगत खनन के प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण से छूट प्रदान की है।
ii	प्रतिपुरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र।	ii	तद्वैव
iii	प्रतिपुरक वनीकरण के लिये अधिनिर्धारित वनोत्तर/अवकमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमायें को दर्शाता मैप (और वनभूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जाने) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाइल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्टकोपी) - 5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच = 1 मील) भी संलग्न किया जावे।	iii	तद्वैव
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपुरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।	iv	तद्वैव
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल अधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल		
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	i	10043.00 वर्ग कि.मी.
ii	जिले का वनक्षेत्र	ii	4048.843 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	iii	अभी तक कुल 50 प्रकरणों में 2211.781 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैरवानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

iv	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	iv	24.10.80 से भारत सरकार / राज्य सरकार / नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (पू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।																																							
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	v	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु क्र.</th> <th>दुगने विगडे / सामतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)</th> <th>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</th> <th>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>155.314</td> <td>2117.096</td> <td>0.000</td> <td>0.00</td> <td>2272.41</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु क्र.</th> <th>दुगने विगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)</th> <th>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</th> <th>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>योग</th> <th>व्यय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>106.928</td> <td>1167.389</td> <td>180.271</td> <td>-</td> <td>1454.588</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>टीप:- अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रुपये 29,31,222/- व्यय हुआ।</p>	अनु क्र.	दुगने विगडे / सामतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	1	2	3	4	5	6	1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41	अनु क्र.	दुगने विगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7		106.928	1167.389	180.271	-	1454.588	
अनु क्र.	दुगने विगडे / सामतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग																																					
1	2	3	4	5	6																																					
1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41																																					
अनु क्र.	दुगने विगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय																																				
1	2	3	4	5	6	7																																				
	106.928	1167.389	180.271	-	1454.588																																					
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले / राज्य के वन एवं पर्यावरण पर सभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परिशोजना से सभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य / अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का व्यौरा दिया जावे।	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित कक्ष क्रमांक - आर.एफ. -340, 341, 342, 343 सतपुड़ा मेलघाट कारीडोर की सीमा से एवं पचमढी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है।</li> <li>2. आवेदित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व ही कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित कर आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत खनन कार्य किया गया है एवं वर्ष-1980 के बाद भी भूमिगत खनन कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक / एफ.नं-2-1 / 2003 - 1 c (Part-4) दिनांक 06 / 07 दिसम्बर 2004 से जारी निर्देशों के अनुरूप दिनांक 25.10.1980 के पश्चात भूमिगत खनन जारी रहना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की परिधि में आता है।</li> <li>3. आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रुपये 25,54,62,766 /- (पच्चीस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार सात सौ छैसठ रुपये मात्र) आज दिनांक तक जमा नही की गयी है। वर्ष-2012 से आज दिनांक तक महंगाई में वृद्धि होने फलस्वरूप वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण हेतु आकलित राशि में बढोतरी होना आवश्यकता है।</li> <li>4. दंडात्मक नियमानुकूल प्रावधान रखते हुये आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन की कार्यान्वयन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।</li> </ol>																																							

तिथि :- 09/05/2017  
स्थान :- बैतूल

हस्ताक्षर  
नाम साक अर्पण  
पदनाम D.F.O.  
(संरक्षक (मोडर))

